Ph. & Fax : 01364-233207
email : cdupjnrudraprayag@gmail.com

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रप्रयाग।

ई-मेल

पत्रांक 2029 / वनभूमि / 42 दिनांक 05-07-2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः **ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1702/12–1–2 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा इस शाखा की ऊखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगाई गई आपत्तियों की बिन्दुवार निराकरण आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक संरेखण नहीं दर्शाया गया है।	डिजिटल मानचित्र में वैकल्पिक संरेखण परियोजना के अन्तर्गत वैकल्पिक संरेखण उपलब्ध न होने के कारण का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
2	आप द्वारा प्रपत्र–9 में अंकित किया गया है कि वैकल्पिक संरेखण में अधिक वृक्ष आने के कारण संरेखण निरस्त किया गया, किन्तु वृक्षों की संख्या अंकित नहीं की गयी है तथा यह भी अंकित नहीं किया गया है कि तीन संरेखणों में से एक उपयुक्त पाया गया जबकि तालिका में दो ही संरेखण अंकित किये गये हैं।	उपरोक्तानुसार
3	प्रपत्र–10 में आवेदित भूमि अंकित नहीं की गयी है। लैंड शड्यूल में वन पंचायत का नाम भी अंकित नहीं किया गया है तथा खसरा, रकवा भी अंकित नहीं किया गया है।	आवेदित भूमि अंकित कर दी गई है।
4	परियोजना का नाम भी अंकित नहीं किया गया है व वन पंचायत का नाम भी अंकित नही किया गया है।	परियोजना का नाम व वन पंचायत का नाम अंकित कर दिया गया है।
5	प्रपत्र–13 में परियोजना का नाम व वन पंचायत का नाम तथा बार चार्ट है0 की जगह किमी0 में दर्शाया जाये।	अंकित कर दिया गया है।
6	प्रपत्र 15.4, प्रपत्र –17 में वन पंचायत का नाम अंकित किया जाये।	वन पंचायत का नाम अंकित कर दिया गया है।
7	प्रपत्र –19 में राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से दूरी के प्रमाण पत्र को मुख्य वन संरक्षक आई0टी0 एवं आधुनिकरण 85 राजपुर रोड़, वन मुख्यालय देहरादून से तैयार करवाकर प्रस्ताव में संलग्न करें।	संलग्न कर दिया गया है।
8	वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।	संलग्न कर दिया गया है।
9	Cost Benefit Resue चार्ट तथा प्रपत्र–25 में लागू नहीं भरा जाये।	भर दिया गया है।
10	प्रभावित होने वाली वन पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।	संलग्न कर दिया गया है।
11	प्रपत्र–33 में लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों व जनसंख्या भरी जाये।	जनसंख्या भर दी गई है।

अतः उक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण एवं आवश्यक संशोधन करते हुये वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पुनः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

"जल संचय– जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदुषित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी – जल स्त्रोतों को प्रदुषित करना दण्डनीय अपराध है।